

12-4-18

यह दावा की बचपरी लाल बंगारा लाने पेय किया गया। रिपोर्ट अहलमय का अवलोकन किया गया। दावा इन रजिस्टर सेक्टर टालकी प्रतिवादी जण की जमात पता कल उकिंग 3-5-18 की पेय हो।

अप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

35/18

उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है / उभयपक्ष पर है / का पद रिक्त है। पत्रावली मत / आ. शानुसार दिनांक 17-5-18 को पेश हो।

17/18

उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है / उभयपक्ष पर है / का पद रिक्त है। पत्रावली मत / आ. शानुसार दिनांक 23-8-18 को पेश हो।

रीडर

136/18

पतावली टालकी कने पर पेय हुई। बचपरी वादी / प्रतिवादी उपर। वादी एवं प्रतिवादी ने उपर सेक्टर राजीगमा पेय किया गया जो कि शामिल पत्रावली किया गया। वादी प्रतिवादी की पहचान संबंधित इतिहास ने की गई। राजीगमा के अनुसार वादी का शक अंशिक रिक्त किया जाता है। राजीगमा के मुताबिक डिप्टी जारी की जावे। पतावली फौसल मूकार सेक्टर बाद लकमाल दफ्तर दारकिल की जावे।

अप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

मोमताली (कीम)
शेरासु हमीम

आ. म. प. 181
[Signature]

[Signature]

[Signature]

राजस्थान - सरकार

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाबा दिवानी)

अज अदालत :- उपजिला कलेक्टर बामनवास
इजलास :- रामकिशोर मीना (आर.ए.एस.)

1. ओमप्रकाश पुत्र छाज्या मीना निवासी टुण्डिला तहसील बामनवास
2. शेरसिंह पुत्र छाज्या मीना निवासी टुण्डिला तहसील बामनवास
3. मौसम पुत्र छाज्या मीना निवासी टुण्डिला तहसील बामनवास

बनाम

:- वादी :-

1. जगदीश पुत्र रामकिशोर ब्राहमण निवासी टुण्डिला तहसील बामनवास
2. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा बामनवास
3. बैंक आफ महाराष्ट्र शाखा जाहिरा
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास

:- प्रतिवादी :-

दावा बाबत विभाजन एवं ,स्थाई निषेधज्ञा

मुकदमा न. :-28/2018

डिक्री जारी दिनांक:-13.6.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी :-वकील वादी श्री रामसिंह मीना एवं वकील प्रतिवादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा मिनजानिब मुददई व मिनजानिब मुददयालह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :-

वादी /प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन करने के आदेश दिये जाते है ।

1. ग्राम टुण्डिला की आराजी ख.न. 116 रकवा 0.38 ऐयर प्रतिवादी संख्या 1 का रहेगा तथा ख.न. 117 का रकवा 0.10 ऐयर ख.न. 118 का रकवा 0.11 ऐयर वादीगण के नाम रहेगा । इसी अनुसार बंटवारा राजस्व रिकार्ड में करने हेतु तहसीलदार बामनवास को आदेश दिये जाते है ।

नोट:-राजीनामा एवं डिक्री निर्णय का भाग रहेगा ।

यह डिक्री आज दिनांक 13.6.2018 को इस न्यायालय की और से जारी की गई



उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स० बा०)
(रामकिशोर मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास